अपील सूचना अधिकार संख्या 19/2022 (GCMS 2022/65)(आईटीआई पोर्टल नं. 212135432224154) कमलकांत मारवाल वार्ड 14(नया) 08 (पुराना), गुरूद्वारा गली, तीन एसटीआर, तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर-[illegible]711 दूरभाष नं. 6375823064 <u>बनाम</u> विकास अधिकारी, पंचायत समिति, घ[illegible]

<u>25.04.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलाथी कमलकांत मारवाल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी कमलमांत मारवाल ने विकास अधिकारी, पंचायत समिति, घडसाना से सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 21.02.2022 से सूचना दिनांक चाही थी, जो विकास अधिकारी, पंचायत समिति, घड़साना ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी कमलकांत मारवाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र के द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, घड़साना से निम्न सूचना चाही थी:

> ज्ञात रहे कि व्यक्ति की जीवन एवं स्वतंत्रता के विषय में अधिनियम की धारा 4(1) प्रभावी होती है।
>
> **यहा उल्लेख करना चाहूंगा** कि ग्राम पंचात 24 एसएस(सी) नं.म. घड़साना में सरपंच के पूर्व कार्यकाल (2015-2020) के दौरान आवेदक कमल मारवाल, आरटीआई एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा भ्रष्टाचार निरोधर ब्यूरों में भ्रष्टाचार से संबधित एक प्रकरण में 85,92,000/- लगभग की राशि का दुरूपयोग करने संबंधी व ग्राम सचिव/सरपंच व सहायक अभियन्ता के पदीय दुरूपयो[illegible]धित था। उक्त प्रकरण में आठ सी.सी. सडकों [illegible] तकनीकी जांच सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रीगंगानगर द्वारा सम्पन्न की गई थी जि[illegible] निर्माण कार्यो को अत्यंत स्तरहीन मानते हुए गबन की पुष्टि हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 19/2022

तत्पश्चात एसीबी द्वारा प्रकरण की तथ्यात्मक जांच की जाकर दोषियों के विरूद्व एफआईआर नं. 319/2018 दर्ज की गई। जिसमें दोषी पाये जाने पर मुल्जिमानों द्वारा माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन प्राप्त किया गया जो वर्तमान में जैरकार है।

अतः मुझे अंदेशा है कि प्रकरण में पंचायत समिति घड़साना द्वारा दोषी मुल्जिमानों से मिलीभगत कर दोष मुक्त करनें संबधी निर्णय General Body Meeting मे लिया गया है जो अनुचित, गैरकानूनी एवं माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा जारी आदेशो की जानबुझकर की गई अवमानना है।

अतः उक्त प्रकरण में मै आवेदक एक परिवादी होने के नाते मुझ प्रार्थी के जीवन व स्वंतत्रता से संबधित होने के कारण उक्त आवेदन आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 4(1) के अन्तर्गत है अतः निम्नालिखित बिन्दुओ पर प्रमाणित सूचनाऐं उपलब्ध करावें ताकि में आवेदन माननीय राज. उच्च न्यायालय में अवमानना की कार्यवाही कर सकूं।

1. पंचायत समिति घड़साना की प्रथम General Body Meeting में प्रयुक्त उपस्थित कार्मिकों/जनप्रतिनिधियों का उपस्थिती रजिस्टर की प्रमाणित प्रतियां।
2. बिन्दु (1) कि क्रम में कार्यवाही रजिस्टर की प्रमाणित प्रतियां।
3. बिन्दु सं. (1) व (2) के सन्दर्भ में प्रस्ताव रजिस्टर (Agenda Register) की प्रमाणित प्रतियां।
4. उक्त बैंठक में ग्राम विकास अधिकारी श्री सुरेश कुमार. व सरपंच ज्योति मेघवाल के नामित प्रकरण में प्रयुक्त समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां 48—घण्टों में उपलब्ध करावे।

ज्ञात रहे उक्त प्रकरण में मु[illegible]क के विरूद्व पुलिस थाना घड़साना में प्रकरण [illegible] उक्त प्रकरण मेरे निजी जीवन एवं स्वतंत्रता से संबधित [illegible] नियमानुसार 48—घण्टों में सूचनाए अपेक्षित है अन्यथा आवेदन 48 घण्टों के पश्चात माननीय सूचना आयोग में शिकायत एवं अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त ऑनलाईन अपील प्राप्त होने पर इस कार्यालय द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, घड़साना को इस कार्यालय के पत्रांक 398 दिनांक 12.04.2022 से टिप्पणी चाही गई थी, जो आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई हैं

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध विकास अधिकारी, पंचायत समिति, घडसाना द्वारा आदिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नहीं किया है और **सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत विकास अधिकारी, पंचायत समिति** द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है। इस न्यायालय को उक्त अपील को प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज की जाती है। प्रार्थी यदि चाहे तो विकास अधिकारी, पंचायत समिति, घडसाना के सक्षम प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति विकास अधिकारी, पंचायत समिति, घड़साना** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:21:12 IST
Reason: SelfAttested